**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**वित्तीय सेवाएं विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2793**

**(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)**

**बैंकों में नियंत्रण और संतुलन को सुदृढ़ किया जाना**

**2793. श्री अनिल देसाईः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रमिक और अधिकारी निदेशक नियुक्त नहीं किए हैं जिससे नियंत्रण और संतुलन कमजोर हुआ है;**

**(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) सरकार नियंत्रण और संतुलन को मजबूत बनाने हेतु कौन-कौन से कदम उठा रही है?**

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

**(क) और (ख): अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बोर्डों में बैंक कर्मचारियों में से निदेशकों को नियुक्‍त करने के संबंध में अभ्‍यावेदन दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों में से निदेशकों की नियुक्ति सहित बोर्डों में रिक्तियों के प्रति निदेशकों की नियुक्ति की एक सतत प्रक्रिया है।**

**(ग): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में गैर-प्रबंधन निदेशकों का बहुमत होता है। नियंत्रण एवं संतुलन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-कार्यकारी अध्‍यक्षों की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मानव संसाधन के मामलों की समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन (एचआर) की बोर्ड समिति बनाने का सुझाव दिया है।**

**\*\*\*\*\***